न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 55 / 2023

1 सुधानन्द उम्र 26 साल पुत्र स्व. श्री ईश्वर सिंह जाति मेघवाल निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 जगदीश पुत्र स्व. श्री मामचन्द जाति मेघवाल निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

2 भागीरथ पुत्र स्व. श्री मामचन्द जाति मेघवाल निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

3 मु. रेशमी देवी बेवा स्व. मानसिंह निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

4 प्रताप सिंह पुत्र स्व. मानसिंह निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

5 बलबीर पुत्र स्व. मानसिंह निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

6 प्रेम पुत्री स्व. मानसिंह निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज. हाल निवासी तोखा का बास तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।

7 विमला पुत्री स्व. मानसिंह निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज. हाल निवासी तोखा का बास तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।

8 कृष्णा पुत्री स्व. मानसिंह निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज. हाल निवासी भुड़नपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

9 नन्दी पुत्री स्व. मानसिंह निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज. हाल निवासी भुड़नपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

10 राजबाला पुत्री स्व. मानसिंह निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज. हाल निवासी स्यालू, तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

11 ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री झुथाराम जाति मेघवाल निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

12 ओमपाल पुत्र स्व. श्री झुथाराम जाति मेघवाल निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

13 महीपाल पुत्र स्व. श्री झुथाराम निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

14 राजाराम पुत्र स्व. श्री झुथाराम जाति मेघवाल निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

15 विजयपाल पुत्र स्व. श्री झुथाराम जाति मेघवाल निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

16 ज्ञानड़ी पत्नी स्व. श्री झुथाराम जाति मेघवाल निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

17 माया पुत्री जाति मेघवाल निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

18 सुखनन्द पुत्र स्व. श्री ईश्वर जाति मेघवाल निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

19 सुनीता पुत्री स्व. श्री ईश्वर जाति मेघवाल निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज. हाल निवासी छापड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

20 जीवणी पुत्री श्री स्व. श्री ईश्वर जाति मेघवाल निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज. हाल निवासी छापड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

21 फुलादेवी पत्नी श्री स्व. श्री ईश्वर जाति मेघवाल निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

22 राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा डुलानियां जरिये शाखा प्रबंधक राज. ग्राम. क्षेत्र ग्रा. बैंक शाखा डुलानियां तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

23 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक
21.01.2020 पास कर्दा अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार
एस.डी.ओ. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़
राज. बमुकदमा उनवानी जगदीश आदि बनाम मानसिंह
वगै. मु.नं. 74/2019

अपील संख्या 56/2023

1 सुधानन्द उम्र 26 साल पुत्र स्व. श्री ईश्वर सिंह जाति मेघवाल निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 जगदीश पुत्र स्व. श्री मामचन्द जाति मेघवाल निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

2 भागीरथ पुत्र स्व. श्री मामचन्द जाति मेघवाल निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

3 मु. रेशमी देवी बेवा स्व. मानसिंह निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

4 प्रताप सिंह पुत्र स्व. मानसिंह निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

5 बलबीर पुत्र स्व. मानसिंह निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

6 प्रेम पुत्री स्व. मानसिंह निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज. हाल निवासी तोखा का बास तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।

7 विमला पुत्री स्व. मानसिंह निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज. हाल निवासी तोखा का बास तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।

8 कृष्णा पुत्री स्व. मानसिंह निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज. हाल निवासी भुड़नपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

9 नन्दी पुत्री स्व. मानसिंह निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज. हाल निवासी भुड़नपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

10 राजबाला पुत्री स्व. मानसिंह निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज. हाल निवासी स्यालू तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

11 ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री झुथाराम जाति मेघवाल निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

12 ओमपाल पुत्र स्व. श्री झुथाराम जाति मेघवाल निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

13 महीपाल पुत्र स्व. श्री झुथाराम निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

14 राजाराम पुत्र स्व. श्री झुथाराम जाति मेघवाल निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

15 विजयपाल पुत्र स्व. श्री झुथाराम जाति मेघवाल निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

16 ज्ञानड़ी पत्नी स्व. श्री झुथाराम जाति मेघवाल निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

17 माया पुत्री जाति मेघवाल निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

18 सुखनन्द पुत्र स्व. श्री ईश्वर जाति मेघवाल निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

19 सुनीता पुत्री स्व. श्री ईश्वर जाति मेघवाल निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज. हाल निवासी छापड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

20 जीवणी पुत्री श्री स्व. श्री ईश्वर जाति मेघवाल निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज. हाल निवासी छापड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

21 फुलादेवी पत्नी श्री स्व. श्री ईश्वर जाति मेघवाल निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

22 राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा डुलानियां जरिये शाखा प्रबंधक राज. ग्राम. क्षेत्र ग्रा. बैंक शाखा डुलानियां तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

23 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 11.11.2022
पास कर्दा अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार एस.डी.ओ.
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ राज. बमुकदमा
उनवानी जगदीश आदि बनाम मानसिंह वगै. मु.नं.
74/2019

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

उपस्थिति :

1. श्री प्रमोद पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विनोद गिल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 19.11.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 74/2019 में पारित निर्णय दिनांक 21.01.2020 व 11.11.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनो पत्रावलियों में विवादित भूमि एवं पक्षकार एक समान होने से दोनो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 ने एक वाद खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 220, 293, 296, 297 वाके ग्राम पीपली तहसील सूरजगढ़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि मुकदमा उनवानी जगदीश आदि बनाम मानसिंह आदि के सरसरी तौर पर वाकयात मुकदमा इस प्रकार है कि प्रत्यर्थीगण नम्बर 1 व 2/वादीगण ने उक्त उनवानी दावा बाबत खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा माननीय विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ राज. के यहां राजस्व ग्राम पीपली में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 220 रकबा 1.71 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 293

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

रकबा 1.71 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 296 रकबा 0.01 हैक्टेयर गै. मु. कुआं खसरा नम्बर 297 रकबा 7.60 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 11.03 हैक्टेयर बाबत प्रस्तुत किया, उक्त भूमि अपीलार्थी की पुश्तैनी कृषि भूमि है। प्रकरण हाजा मे नियत गत तारीख पेशी दिनांक 20.01.2020 को अपीलार्थी/प्रतिवादी नम्बर 10 की अनुपस्थिति जानबूझकर नहीं रही है, अपीलार्थी/प्रतिवादी नम्बर 10 प्रकरण हाजा को सीरीयसली कन्टेस्ट करना चाहता था जिस कारण प्रकरण हाजा में अपीलार्थी/प्रतिवादी नम्बर 10 को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित है। प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री अपीलार्थी/प्रतिवादी नम्बर 10 की गैर मौजूदगी में सुनवाई का अवसर दिए बगैर पारित की गई है जिस की बिनाह पर विचारण न्यायालय ने राजस्व ग्राम पीपली में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 220, रकबा 1.71 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 293 रकबा 1.71 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 296 रकबा 0.01 हैक्टेयर गै.मु. कूंआ, खसरा नम्बर 297 रकबा 7.60 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 11.03 हैक्टेयर के मुतालिक मनमर्जी से बिना किसी आधार के न्यायिक विवेचन किए बगैर विचाराधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 11.11.2022 पारित की है। विचारण न्यायालय के द्वारा प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 20.01.2020 मनमाने तौर पर वादी की सहमति से बगैर जारी की गई है तथा विभाजन प्रस्ताव दिनांक 14.02.2022 हल्का पटवारी के द्वारा व मौका रिपोर्ट दिनांक 14.02. 2022 तहसीलदार सुरजगढ़ राज के द्वारा गलत व जायदाद जैर बहस के मौका की वास्तविक स्थिती को पेशी रखते हुए अपीलार्थी को किसी प्रकार की कोई सूचना दिए बगैर केवल प्रत्यर्थीगण नम्बर 1 व नम्बर 2 के हस्ताक्षर करवा कर प्रस्तुत किए गए है जिस के आधार पर पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 11.11.2022 कानूनन अपास्त किए जाने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा जायदाद जैर बहस के वास्तविक कब्जा–काश्त का आधार लिया जाना परम आवश्यक था जो कि विचारण न्यायालय ने इस अहम बिन्दू पर गौर ना करते हुए निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 20.01.2020 पारित की है जिस के आधार पर व विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए गलत

भू प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

विभाजन प्रस्ताव के आधार पर निर्णय व डिक्री दिनांक 11.11.2022 पारित की गई है जो कि सरासर खिलाफ वाकेयात है जिस कारण उपरोक्त वर्णित पारित निर्णय दिनांक 11.11.2022 **Non speaking and ambiguous** होने की वजह से आदेश, निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.11.2022 अपास्त किए जाने योग्य है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत अपील विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 10 सुधानन्द की ओर से प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध 3 साल बाद एवं अंतिम डिक्री के विरूद्ध एक साल बाद मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में अपीलांट प्रतिवादी संख्या 10 सुधानन्द की जरिये वकील दिनांक 16.07.2019 को उपस्थिति हुई है। अपीलांट की ओर से राजेन्द्र गोयल एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत किया है। दिनांक 20.01.2020 को अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता की अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री जारी की गई है। विचारण न्यायालय में उपस्थिति के उपरांत बिना किसी संतोषप्रद कारण के अपीलांट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अन्य किसी प्रतिवादी ने प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री को चुनौती नहीं दी है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में दिनांक 16.07.2019 को प्रतिवादी संख्या 1 से 13 की ओर से अधिवक्ता श्री

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

राजेन्द्र गोयल ने वकालतनामा प्रस्तुत किया है। इसके उपरांत दिनांक 09.09. 2019, 17.10.2019, 18.11.2019 को पीठासीन अधिकारी भ्रमण/अवकाश पर होने के कारण मोहर लगाकर तारीख पेशी नियत की गई है। आगामी तिथि 20.01.2020 को बिना किसी विधिक प्रकिया की पालना के अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर साक्ष्य प्राप्त किये बिना, सुनवाई किये बिना विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का नोटिस जारी नहीं किया गया है। बिना किसी सुनवाई के अंतिम डिक्री पारित की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम निर्णय डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट का जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 31. 12.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 19.11.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर